सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 19, शुक्रवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 11, 2019 *Asvina 19, Friday, Saka 1941–October 11, 2019*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

आदेश

जयपुर, अक्टूबर 01, 2019

सख्या प.1(2)(1)नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/14/3718 :-सां.आ. 119/2019 - राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 73 के परन्तुक में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी निर्वाचन में परिणाम की घोषणा के पश्चात् प्रयुक्त मतदान मशीनें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में ऐसी रीति से रखी जायेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देशित करे ;

अत: उक्त नियम 73 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग अपने पूर्व आदेश क्रमांक 3153/09.11.99 (सां. आं 31/99) को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित निर्देश जारी करता है :-

(1) निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के तुरन्त पश्चात् नियम 63-ख के अन्तर्गत बतायी गयी रीति से नियंत्रण यूनिटों (Control Units) को उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबन्द किया जाएगा। आवश्यकतानुसार मतगणना के दौरान खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) को भी उनके वहन बक्सों में रखकर सीलबंद किया जाएगा। इस प्रकार सभी नियत्रंण यूनिट (Control Unit) एवं खोली गई मतदान यूनिटों (Ballot Units) सहित समस्त मतदान यूनिटों (Ballot Units) के वहन बक्सों को रिटर्निंग अधिकारी इनके प्रयोजनार्थ तैयार किए गए बड़े बक्सों/सन्दूकों में रखेगा; तत्पश्चात् उसी दिन इस हेतु नियत किए गए स्थान पर दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(2) प्रत्येक बड़े बक्सों या सन्दूक के एक ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं के पास रखी जायेगी। प्रत्येक बड़े बक्से या सन्दूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को सुपुर्द की जायेगी।

(3) इलेक्ट्रोनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् इन ईवीएम के वहन बक्सों को सील करने की आवश्यकता नहीं है एवं इनका भण्डारण भी बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में अंकित ईवीएम के साथ नहीं किया जाना है। चूंकि इन ईवीएम को पुन: मतदान के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है, अत: इनको पृथक भण्डारगृह (Warehouse) में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

इन मशीनों से निर्वाचन की स्थिति में परिणामों की घोषणा के पश्चात् कन्ट्रोल युनिट (Control Units) में प्रयुक्त हुए सिक्योर डिटेचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) को ही सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। एसडीएमएम को सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने संबंधी निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक 2537 दिनांक 23.07.2019 के द्वारा जारी किए हुए है।

आज्ञा से,
अशोक कुमार जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।